कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2022 / 2628 लखनऊःदिनांकः 16 नवम्बर, 2022

यू0पी0 नीट यू0जी0 2022 के अन्तर्गत त्याग–पत्र दिये जाने के संबंध मे आवश्यक सूचना।

यू0पी0 नीट यू0जी0–2022–23 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से किसी अन्य सीट पर आवंटन प्राप्त हुआ है और वह प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्याग–पत्र देना चाहते है(त्याग–पत्र के समय अन्य काउंसिलिंग से आवंटन का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा), तो वह आल इण्डिया अथवा अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग से आवंटित सीट से संबंधित आवंटन–पत्र प्रस्तुत कर नोडल सेन्टर (जहॉ पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की हो) पर **दिनांक 17.11.2022 को सायं 04:00 बजे तक** यू0पी0 नीट यू0जी0–2022 हेतु नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 में निहित शर्तो / प्रतिबन्धो के अधीन अपना त्याग–पत्र दे सकते है :–

- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज / डेन्टल कालेजो में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा **शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।**
- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में प्रवेश ले लिया जाता है तथा अभ्यर्थी को आल इण्डिया / अन्य प्रदेशो की काउंसिलिंग से कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है, फिर भी अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत कारणो से निर्धारित तिथि से पूर्व त्याग–पत्र देता है तो ऐसी दशा मे **शिक्षण शुल्क मे से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि एवं धरोहर धनराशि (Security Money) वापस किया जायेगा।**

महानिदेशक।